कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

//आदेश//

क्रमांक/रीडर-जि0दण्डा/1996 /2021 बिलासपुर, दिनांक 23 मई, 2021

कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के अनुक्रम में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/रीडर-जि0दण्डा0/1976/2021 दिनांक 14 मई 2021 तथा आदेश क्रमांक/रीडर-जि0दण्डा0/1981/2021 दिनांक 17 मई 2021 के माध्यम से बिलासपुर जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को दिनांक 24/05/2021 रात्रि 12:00 बजे तक की अवधि हेतु कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुये जिला बिलासपुर में सार्वजनि आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध अधिरोपित किये गये है।

बिलासपुर जिले में व्यवसायिक गतिविधियों पर अधिरोपित प्रतिबंधों एवं सम्पूर्ण जि को कंटेनमेंट जोन घोषित करने से कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में गिरावट दर्ज गयी है किन्तु भीड़-भाड़ में वृद्धि होने पर कोविड-19 संक्रमण बढ़ने की आशंका अभी विद्यमान है। आम जनता हेतु आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने साथ-साथ श्रमिकों, निम्न आय वर्ग तथा छोटे-बड़े व्यवसायीगण के हितों की सुरक्षा निर्बंधनों में समुचित रियायत दी जानी आवश्यक है। उपरोक्त परिस्थितियों में समुचि विचारोपरान्त कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने तथा सभी वर्गो के हितों की सुरक्षा युक्तियुक्त पुनरीक्षित निर्बन्धन अधिरोपित करते हुए सम्पूर्ण बिलासपुर जिले में कन्टेंनमेंट जोन अवधि बढ़ाया जाना व्यापक लोक हित में आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट, 1897 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अ इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/रीडर-जि0दण्डा0/1976/2021 दिनांक 14 मई 2021 अधिक्रमित करते हुए मैं, डॉ0 सारांश मित्तर, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बिलासपुर निम्नलिखित आदेश प्रसारित करता हूँ :-

1- बिलासपुर जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र दिनांक 31/05/2021 रात्रि 12:00 बजे तक पूर्ववत कन्टेनमेंट जोन रहेगा। उपरोक्त अवधि में बिलासपुर जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेंगी।

2- उपरोक्त अवधि में निम्नलिखित गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी-

2.1 सभी सब्जी बाजार, मॉल, मैरिज हाल, स्विमिंग पूल, क्लब, सिनेमा हॉल, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, जिम तथा अन्य सार्वजनिक स्थल बन्द रहेंगे।

2.2 जिला अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकानें एवं बार बन्द रहेंगे किन्तु ऑनलाईन एप्लीकेशन के माध्यम से होम डिलिवरी की अनुमति रहेगी।

2.3 सभी पार्क, रिसार्ट तथा समूह उपस्थिति वाले सभी धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता हेतु पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।

2.4 बिलासपुर जिला अंतर्गत सभी कार्यालय विशिष्ट आदेश को छोड़कर सामान्यतः आम जनता हेतु बन्द रहेंगे किन्तु 50 प्रतिशत स्टाफ रोटेशन के साथ कार्यालयीन एवं आम जनता विषयक अति आवश्यक प्रयोजन हेतु

23/05/21

सभी कार्यालय खोले जाएंगे। उप पंजीयक कार्यालय आवश्यक स्टाफ सहित पूर्ववत टोकन/ऑनलाईन सिस्टम के साथ संचालित होंगे। टेलीकॉम, पोस्टल, रेलवे एवं एयरपोर्ट संचालन व रख रखाव से जुडे कार्यालय/वर्कशॉप, रेक प्वाईण्ट पर लोडिंग–अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन की अनुमति पूर्ववत रहेगी।

2.5 स्कूल, कॉलेज विद्यार्थियों हेतु बन्द रहेंगे। छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को निवास की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेस सहित अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बन्द रहेंगी।

2.6 सभी प्रकार के सभा, जुलूस, धरना, प्रदर्शन, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे किन्तु विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास गृह में ही आयोजित करने तथा कोविड –19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने की शर्त के अधीन आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या पूर्ववत 10 रहेगी। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 होगी।

2.7 सभी प्रकार की मण्डियां, जिसमें सब्जी मण्डियां भी शामिल है, आम जनता हेतु बन्द रहेंगी किन्तु धान एवं अनाज के क्रय–विक्रय/नीलामी से संबंधित मण्डियां प्रातः 06:00 बजे से अपरान्हः 02:00 बजे तक खुली रहेंगी। आवश्यक वस्तुओं/माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु गोडाउन/मण्डियों में थोक माल/कार्गो/फल/सब्जी की लोडिंग–अनलोडिंग की अनुमति प्रातः 04:00 बजे से प्रातः 10:00 बजे तक होगी।

2.8 सभी पान/सिगरेट ठेला तथा चौपाटी, चाट, समोसा, गुपचुप, फास्ट फूड इत्यादि के विक्रय हेतु ठेलों का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

2.9 होटलों/रेस्टोरेण्ट्स को प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक आनलाईन ऐप जैसे– स्विगी, जोमेटो आदि तथा टेलीफोनिक आर्डर के माध्यम से होम डिलिवरी की अनुमति होगी। उक्त अवधि में टेक अवे का भी संचालन किया जा सकेगा। रेस्टोरेण्ट्स में इन–हाउस–डायनिंग सेवा प्रतिबंधित रहेगी किन्तु होटल में रूके हुए व्यक्तियों के लिए रेस्टोरेण्ट्स की किचन सेवाएं संचालित की जा सकेंगी।

3– लोक सेवा केन्द्र/च्वाईस सेन्टर अपरान्हः 05:00 बजे तक खोले जाएंगे किन्तु मास्क तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराया जाना अनिवार्य होगा। उल्लंघन की दशा में अर्थदण्ड के साथ–साथ केन्द्र की आई0डी0 निलम्बित की जावेगी।

23/05/21

4– वाहन मरम्मत/पंचर सुधार/ऑटो पार्ट्स/वाहनों के शो–रूम/वाहन रिपेयरिंग वर्कशॉप, स्टेशनरी, लॉण्ड्री सर्विसेस, आटा चक्की, ऑप्टिकल शॉप, पेट शॉप/एक्वेरियम, कृषि से संबंधित– (खाद/उर्वरक, कीटनाशक, बीज विनिर्माण, वितरण एवं विक्रय, कृषि मशीनरी विक्रय एवं इससे संबंधित स्पेयर पार्ट्स एवं मरम्मत) दुकानें अधिकतम सायं 05:00 बजे तक संचालित की जा सकेंगी।

5– समस्त प्रकार की एकल दुकानें एवं एकल किराना/डेलीनीड्स दुकानें, फल/सब्जी, अण्डा, मछली, मांस, पोल्ट्री तथा दुग्ध उत्पाद संबंधी दुकानें सायं 05:00 बजे तक खोली जा सकेंगी। संबंधित दुकानदार फल/सब्जी, अण्डा, मछली, मांस, पोल्ट्री, दुग्ध उत्पाद एवं किराना सामग्री/ग्रॉसरी की होम डिलिवरी को प्राथमिकता देंगे।

6– स्थापित बाजारों में स्थित दुकानें, रविवार को छोड़कर अन्य दिनों में सम–विषम आधार पर नम्बरिंग अनुसार उनके सामान्य समय पर खुलते हुए सायं 05:00 बजे तक खोली जा सकेगी, जिससे किसी एक दिवस में संबंधित व्यापारिक संगठनों द्वारा निर्धारित क्रम अनुसार किसी बाजार में अधिकतम 50 प्रतिशत दुकानें ही खुल सकेंगी। इस हेतु नगरीय निकाय स्थानीय स्तर पर विचार कर उचित क्रम निर्धारित करेंगे। मास्क तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा। किसी दुकान में फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए भीड़–भाड़ की स्थिति निर्मित होने या राज्य शासन /इस कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों के उल्लंघन होने पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने एवं 30 दिवस हेतु दुकान सील करने की कार्यवाही की जावेगी।

7– निर्माण गतिविधियों संबंधित दुकानें जैसे– हार्डवेयर, प्लंबिंग, इलेक्ट्रिकल्स, ए0सी0, कूलर आदि की स्थानीय /एकल दुकानें अधिकतम सायं 05:00 बजे तक खोली जा सकेंगी।

8– ई–कामर्स एप्लीकेशन जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट इत्यादि के माध्यम से वस्तुओं की होम डिलिवरी तथा कूरियर डिलिवरी सायं 05:00 बजे तक ही की जा सकेगी।

9– को–मॉर्बिड/गर्भवती अधिकारियों/कर्मचारियों को एक्टिव ड्यूटी से छूट देते हुए पोस्ट ऑफिस, बैंकों, बीमा कार्यालय एवं निजी कार्यालय व संस्थानों को अधिकतम 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ टोकन व्यवस्था तथा मास्क व फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन के अधीन संचालन की अनुमति होगी।

10– सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक, पशु–चिकित्सालय, गैस एजेंसियां एवं पेट्रोल पम्पों को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाईयों की होम डिलिवरी को प्राथमिकता देंगे।

23/05/21

11— दुग्ध पार्लर व दुग्ध वितरण की समयावधि प्रातः 06:00 बजे से सायं 07:00 बजे तक होगी।

12— निजी निर्माण कार्य सायं 05:00 बजे तक तथा औद्योगिक संस्थानों, शासकीय निर्माण कार्यों को अपने समय पर संचालन व निर्माण कार्यों की अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त मनरेगा के कार्य एवं वन विभाग के लघु/गौण वनोपज से संबंधित— संग्रहण, विपणन, भण्डारण एवं परिवहन कार्य इस प्रतिबंध से मुक्त होंगे।

13— शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य नियंत्रक, बिलासपुर द्वारा निर्धारित समयावधि में मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, नियमित सेनेटाईजेशन एवं भीड़—भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ खुलने की अनुमति होगी।

14— **प्रत्येक रविवार को सम्पूर्ण व्यावसायिक गतिविधियां बन्द रहेंगी। इस दौरान केवल अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल दुकान, पशु चिकित्सालय, पेट्रोल पम्प तथा गैस एजेंसियां, पी0डी0एस0 एवं उपरोक्तानुसार अपने निर्धारित समयावधि में दुग्ध वितरण, न्यूज पेपर, होटलों/रेस्टोरेण्ट्स से होम डिलिवरी की अनुमति होगी।**

15— सभी संचालित दुकानों में निःशुल्क वितरण अथवा विक्रय हेतु मास्क रखना तथा दुकान में कार्यरत कर्मचारियों एवं ग्राहकों के उपयोग हेतु सेनेटाईजर रखना अनिवार्य होगा। होम डिलिवरी व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड 19 जांच तथा 45 वर्ष से अधिक अवस्था वाले व्यक्तियों को कोविड—19 वैक्सीनेशन कराना आवश्यक होगा। साथ ही होम डिलिवरी के दौरान मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।

16— प्रतिदिन सायं 05:00 बजे से अगले दिन प्रातः 06:00 बजे तक सभी गतिविधियां प्रतिबंधित होंगी, उक्त अवधि में इस आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त गतिविधियां जैसे— अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक, दुग्ध पार्लर/दुग्ध वितरण, पेट्रोल पम्प, होटल/रेस्टोरेण्ट्स से होम डिलिवरी/ टेक अवे तथा थोक माल/ कार्गो/फल/सब्जी की लोडिंग—अनलोडिंग की अनुमति निर्धारित समय पर होगी। आपातकालीन आवागमन को छोड़कर अन्य समस्त गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।

17— कोविड संक्रमण की रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कान्टैक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेशन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेंगे। इन कार्य में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेंगे।

23/05/21

18– उपरोक्त अवधि में रेल, बस व हवाई यात्रा हेतु रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड व एयरपोर्ट पर आने–जाने वाले यात्रियों को किसी पास की आवश्यकता नहीं होगी। यात्रियों को निवास/स्टेशन तक आने–जाने हेतु उनके पास उपलब्ध टिकट ही उनका ई–पास मान्य किया जावेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में बिलासपुर जिले से अन्यत्र आने–जाने वाले यात्रियों को ई–पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा तथापि प्रतियोगी/अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा रेलवे/पोस्टल/टेलीकॉम/एयरपोर्ट संचालन एवं रख –रखाव कार्य या हास्पिटल या कोविड 19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों/चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आई0डी0 कार्ड ई–पास के रूप में मान्य किया जावेगा तथा आवश्यक परिस्थितियों में संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा भी पास जारी किये जाएंगे।

19– कोविड–19 टीकाकरण हेतु समस्त गतिविधियां यथा पंजीयन, परिवहन एवं टीकाकरण आदि इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। कोविड–19 टीकाकरण एवं जांच हेतु, मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड/विधिमान्य परिचय पत्र दिखाने पर कोविड–19 टीकाकरण केन्द्र, अस्पताल/पैथालॉजी लैब आने–जाने की अनुमति होगी किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा।

20– आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 4 पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 4, आटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 3 एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 2 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। रेलेव स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैण्ड, हास्पिटल आवागमन हेतु ऑटो/टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी किन्तु अन्य प्रयोजन हेतु परिचालन पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जप्त करते हुए चालानी व अन्य कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

21– मीडियाकर्मी यथासंभव वर्क फ्राम होम द्वारा कार्य संपादित करेंगे। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई–कार्ड साथ रखेंगे तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे।

22– यह आदेश कार्यालय संभागीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, उप पुलिस अधीक्षक (शहर/ग्रामीण) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, तहसील, अस्पताल, थाना एवं पुलिस चौकी पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवाएं जिसमें सफाई, सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को

23/05/21

कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

23– राज्य शासन या इस कार्यालय के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी।

उपरोक्त बिन्दुओं को छोड़कर जिले में समस्त गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।

इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठानों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51–60 तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक है । वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामीली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है। आदेश का व्यापक प्रचार–प्रसार तथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।

यह आदेश दिनांक 24/05/2021 रात्रि 12:00 बजे से लागू होगा।

23/05/21

(डॉ0 सारांश मित्तर)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
बिलासपुर, (छ0ग0)

जिला दण्डाधिकारी
बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

पृ0 क्रमांक/रीडर–जि0दण्डा/1996-8/2021 बिलासपुर, दिनांक 23 मई 2021

प्रतिलिपि–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय,
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
4. पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर रेंज, बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
5. पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. आयुक्त, नगर पालिक निगम, बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। आपके क्षेत्र अन्तर्गत व्यापक प्रचार–प्रसार तथा कोविड–19 उपयुक्त व्यवहार हेतु मुनादी कराना सुनिश्चित करें।
8. सर्व इंसिडेन्ट कमान्डर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बिलासपुर को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा
(छत्तीसगढ़)

—:0 आदेश 0:—

क्रमांक / 954 / सां.लि. / COVID-19 / 2021 दन्तेवाड़ा दिनांक 26 / 05 / 2021

कोविड–19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के अनुक्रम में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक / 889 / सां.लि. / COVID-19 / 2021 दिनांक 15.05.2021 एवं सहपठित आदेश क्रमांक / 935, दिनांक 21.05.2021 के माध्यम से दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को दिनांक 31.05.2021 रात्रि 12.00 बजे तक की अवधि हेतु कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुये जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध अधिरोपित किये गये हैं, जिसके कारण दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा जिले में कोविड–19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है

अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट, 1987 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन इस कार्यालय के आदेश क्रमांक / 889 / सां.लि. / COVID-19 / 2021 दिनांक 15.05.2021 सहपठित आदेश क्रमांक / 935 दिनांक 21.05.2021 को अधिक्रमित करते हुए मैं दीपक सोनी, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा निम्नलिखित आदेश प्रसारित करता हूँ :–

1. आगामी आदेश पर्यन्त निम्नलिखित गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी :–
   - i सभी मैरिज हॉल, स्विमिंग पूल तथा सिनेमा हॉल / थियेटर बंद रहेंगे ।
   - ii स्कूल एवं कॉलेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेंगे । छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को आवास की अनुमति होगी । शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेस एवं अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेगी ।
   - iii सभी प्रकार की सभा, जुलूस, प्रदर्शन, सामाजिक, राजनैतिक एवं धार्मिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा । रिसॉर्ट तथा सभी धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल इत्यादि व अन्य सार्वजनिक स्थल समूह आयोजन आम जनता हेतु पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे ।
   - iv वैवाहिक कार्यक्रम निवास–गृह एवं होटल में कोविड–19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन की शर्त पर आयोजित करने की अनुमति होगी । भारत सरकार, गृह मंत्रालय के आदेश क्रमांक / 40–2 / 2020–डी.एम. / 1(ए), दिनांक 29.04.2021 अनुसार आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 20 रहेगी । इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 20 रहेगी ।
2. सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सभी ठेला–गुमटी, सुपर मार्केट / सुपर बाजार, फल एवं सब्जी मंडी / बाजार, अनाज मंडी, शो–रूम, क्लब, मदिरा दुकानें, सैलून, ब्यूटी–पार्लर, स्पा, पार्क व जिम संध्या 06.00 बजे तक खुले रहेंगे ।

   परन्तु गोमस्ता लायसेंस के शर्तो के अनुरूप व्यावसायिक प्रतिष्ठान सप्ताह में एक दिन बंद रखना होगा।

Collector
Dakshin Bastar
DANTEWADA (C.G.)

यह स्पष्ट किया जाता है कि **उपरोक्त अवधि में फास्ट फूड (चाट-गुपचुप, समोसा आदि) विक्रय केवल टेकअव (Only Take away) के माध्यम से की जा सकेगी** । किसी दुकान में मास्क/फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने या भीड-भाड़ होने की दशा में अर्थदण्ड के साथ 30 दिवस हेतु दुकान नियमानुसार सील की जावेगी । संबंधित दुकानदार होम होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे । उपरोक्तानुसार समस्त दुकानदारों/संचालकों एवं होम डिलीवरी में कार्यरत व्यक्तियों को प्रत्येक 10 दिवस में कोविड जॉच कराना अनिवार्य होगा ।

3 दुग्ध वितरण की अनुमति रात्रि 08.00 बजे तक होगी ।

4 कोविड प्रोटोकाल व श्रमिक सुरक्षा नियमों तथा निर्देशों के पालन किये जाने के शर्त पर सभी **शासकीय एवं निजी निर्माण** कार्यो को अनुमति होगी ।

5 उपरोक्त अवधि के दौरान कृषि, वनोपज संग्रहण एवं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यो संबंधी समस्त गतिविधियां कोविड-19 प्रोटोकाल अंतर्गत सोशल/फिजिकल डेस्टिंसिंग का पालन के शर्त पर संचालित रहेंगे ।

6 क्लब-रेस्टोरेंट्स, होटलों एवं रेस्टोरेंट्स से ऑनलाइन/टेलीफोनिक आर्डर पर होम डिलीवरी तथा टेक-अवे की अनुमति होगी, किन्तु इन-हाउस डाइनिंग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा । क्लब-रेस्टोरेंट्स, होटल एवं रेस्टोरेंट्स से डिलीवरी का समय पूर्ववत् रात्रि 09.00 बजे तक तथा आम जनता/ग्राहक के निवास तक होम डिलीवरी का अधिकतम समयरात्रि 10.00 बजे तक ही रहेगा । किसी होटल में इन-हाउस अतिथियों के लिए होटल किचन/स्वयं के रेस्टोरेंट्स के उपयोग की अनुमति रहेगी ।

7 दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा जिले के सभी कार्यालय आगामी आदेश पर्यन्त सामान्यतः आम जनता हेतु बंद रहेंगे, किन्तु अधिकारियों की उपस्थिति शत्-प्रतिशत सुनिश्चित करते हुये, कर्मचारियों के 50 प्रतिशत रोटेशन के साथ कार्यालयीन एवं आम जनता विषयक अति-आवश्यक प्रयोजन हेतु कार्यालय खोले जायेंगे । उप पंजीयक कार्यालय आवश्यक स्टाफ सहित पूर्ववत टोकन/ऑनलाईन सिस्टम के साथ संचालित होंगे । टेलीकॉम, रेलवे एवं एयरपोर्ट संचालन व रख-रखाव से जुड़े कार्यालय/वर्कशाप, रेक प्वाईट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामाग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन की अनुमति पूर्ववत रहेगी । सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनीक एवं पशु-चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में संचालन की अनुमति होगी । मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे ।

8 पेट्रोल पंप, गैस एजेन्सी एवं मेडिकल दुकानें पूर्ण समयावधि तक खुल सकेंगे किन्तु गैस एजेंसियां टेलीफोनिक या आनलाईन आर्डर के माध्यम से ग्राहकों को गैस सिलेन्डरों की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे ।

9 शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य अधिकारी दन्तेवाड़ा द्वारा निर्धारित समयावधि में मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, नियमित सेसनिटाईजेशन एवं भीड़-भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन टोकन व्यवस्था के साथ खोलने की अनुमति होगी ।

10 सभी संचालित दुकानों में निःशुल्क वितरण/विक्रय हेतु मास्क रखना तथा दुकान में कार्यरत कर्मचारियों एवं ग्राहकों के उपयोग हेतु सेनिटाईजर रखना अनिवार्य होगा । होम डिलीवरी व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड-19 जांच कराना आवश्यक होगा साथ ही होम डिलीवरी के दौरान मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा ।

Collector
Dakshin Bastar
DANTEWADA (C.G.)

11 मास्क तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा । किसी दुकान को फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लघंन करते हुए भीड़–भाड़ एकत्रित कर या राज्य शासन/इस कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लघंन करने पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने एवं 30 दिवस हेतु दुकान सील करने की कार्यवाही की जावेगी ।

12 प्रतिदिन संध्या 06.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन लागू रहेगा, जिसके दौरान होटल/रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी तथा थोक माल/वेयरहाउस/कार्गो/फल/सब्बी की लोडिंग/अन–लोडिंग की अनुमति निर्धारित समयावधि में रहेगी । आपातकालीन आवागमन को छोड़कर अन्य समस्त गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा ।

13 आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 04, ऑटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 03, एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी ।

14 आम जनता से यह अपेक्षा की जाती है कि अति आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकलें एवं निकलते समय अनिवार्य रूप से मास्क धारण करते हुये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें । भीड़–भाड़ वाले क्षेत्र में दोहरे मास्क का उपयोग करना अपेक्षित है ।

15 यह आदेश कार्यालय कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, अस्पताल, थाना एवं पुलिस चौकी पर लागू नही होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवायें जिसमें सफाई, सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में अति आवश्यक कार्यो को छोड़कर उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

16 बैंक एवं पोस्ट ऑफिस अपनी क्षमता के 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ कोविड गाईड लाईन का पालन करते हुए सभी प्रकार का लेनदेन (ग्राहक सेवा) कार्यालयीन समय तक अनुमति होगी ।

17 लोक सेवा केन्द्र एवं च्वाईस सेंटर कार्यालयीन समय तक खोले जायेंगे किन्तु मास्क तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराना अनिवार्य होगा । उल्लंघन की दशा में अर्थदण्ड के अतिरिक्त केन्द्र की आई.डी. निलंबित की जावेगी ।

18 अपरिहार्य परिस्थितियों में दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा जिले से अन्यत्र आने–जाने वाले यात्रियों को ई–पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा तथापि प्रतियोगी/अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा रेलवे/पोस्टल/टेलीकॉम/एयरपोर्ट संचालन एवं रख–रखाव कार्य या हॉस्पिटल या कोविड–19 ड्यूटी में संलग्न अधिकारी/कर्मचारियों/चिकित्सकों/निजी अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मियों/चिन्हांकित वालेन्टियर्श की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आई.डी. कार्ड ई–पास के रुप मान्य किया जायेगा तथा आवश्यक परिस्थितियों में संबंधित एस.डी.एम. द्वारा भी पास जारी किये जायेंगे । रेल/बस/हवाई यात्रा के माध्यम से जिले में आने वाले यात्रियों का कोविड–19 जाच अनिवार्य होगा ।

Collector
Dakshin Bastar
DANTEWADA (C.G.)

19 कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कांटेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेसन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेगें। इन कार्य में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेगें।

20 सी.जी. टीका रजिस्ट्रेशन पश्चात् टीकाकरण हेतु संबंधित हितग्राही को पर्ची के साथ टीकारण केन्द्र में पहुंचना अनिवार्य होगी ।

21 व्यवसायिक प्रतिष्ठानों तथा सार्वजनिक स्थलों पर कोविड–19 सैम्पलिंग टीम द्वारा कभी भी सैम्पलिंग की जा सकती है । संबंधित व्यक्तियों को सैम्पलिंग कराना अनिवार्य होगा, मोबाईल सर्विलेंस टीम भी समय–समय पर कोविड–19 प्रोटोकाल का पालन सुनिश्चित कराने हेतु भ्रमण पर रहेगी एवं उनके द्वारा नियमानुसार चालानी/दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी ।

22 जिले के नगरीय निकाय/ग्रामीण क्षेत्र में साप्ताहिक हाट–बाजार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे ।

23 राज्य शासन या इस कार्यालय के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी ।

24 उपरोक्त आदेश में परिस्थितियों को आकलन कर समय विस्तार एवं संशोधन किया जा सकेगा ।

उपरोक्त बिन्दुओं को छोड़कर जिले में समस्त गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी ।

इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड सहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51–60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी ।

यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामीली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रुप से पारित किया जाता है। आदेश का व्यापक प्रचार–प्रसार तथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे ।

यह आदेश दिनांक 27.05.2021 को प्रातः 06.00 बजे से लागू होगा ।

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी (छ.ग.) जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा

(दीपक सोनी)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा

पृ.क्र./ 955/सां.लि./COVID-19/2021 दन्तेवाड़ा दिनांक 26/05/2021

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित ।
2. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर नगर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित ।
3. सचिव छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर नगर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित ।
4. सचिव छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर नगर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित ।
5. पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर नगर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित ।
6. कमिश्नर, बस्तर संभाग, जगदलपुर नगर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित ।
7. पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर रेंज, जगदलपुर नगर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित ।
8. पुलिस अधीक्षक, जिला–दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा की ओर उपरोक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराने एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला दक्षिण वस्तर, दन्तेवाड़ा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
10. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, दन्तेवाड़ा/बड़ेबचेली की ओर उपरोक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराने एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
11. अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) दन्तेवाड़ा/किरन्दुल की ओर उपरोक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराने एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
12. सर्व विभाग /कार्यालय प्रमुख, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा ।
13. महाप्रबंधक, एन.एम.डी.सी. बचेली/ किरन्दुल
14. जिला प्रबंधक, अग्रणी बैंक, जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा ।
15. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दन्तेवाड़ा ।
16. सहायक संचालक, जनसंपर्क, दन्तेवाड़ा की ओर दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन की कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
17. सर्व तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा की ओर उपरोक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराने एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
18. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा की ओर उपरोक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराने एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
19. सर्व मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद /नगर पंचायत, जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा की ओर उपरोक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराने एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
20. सर्व थाना प्रभारी, पुलिस थाना जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा की ओर उपरोक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराने एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
21. नोडल अधिकारी, कण्ट्रोल रूम (07856–252412) जिला कार्यालय, दन्तेवाड़ा ।

(दीपक सोनी)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी महासमुन्द (छ.ग.)

फोन – 07723–223305, फैक्स – 07723–223302, Email - msamund.cg@nic.in

// आदेश //

क्रमांक/570/क/एस.डब्ल्यू./2021 महासमुंद, दिनांक 25/05/2021

कोविड–19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के अनुक्रम में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/520/क/एस.डब्ल्यू./2021 महासमुन्द, दिनांक 15.05.2021 सहपठित आदेश क्रमांक/538/क/एस.डब्ल्यू./2021 महासमुन्द, दिनांक 19.05.2021 सहपठित आदेश क्रमांक/558/क/एस.डब्ल्यू./2021 महासमुन्द, दिनांक 22.05.2021 के माध्यम से महासमुन्द जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को दिनांक 31.05.2021 प्रातः 06:00 बजे तक की अवधि हेतु कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए जिला महासमुन्द में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध अधिरोपित किये गये थे। जिसके कारण महासमुन्द जिले में कोविड–19 पॉजिटीव प्रकरणों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है।

अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट, 1897 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/520/क/एस.डब्ल्यू./2021 महासमुन्द, दिनांक 15.05.2021 सहपठित आदेश क्रमांक/538/क/एस.डब्ल्यू./2021 महासमुन्द, दिनांक 19.05.2021 सहपठित आदेश क्रमांक/558/क/एस.डब्ल्यू./2021 महासमुन्द, दिनांक 22.05.2021 को अधिक्रमित करते हुए मैं, डोमन सिंह, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला महासमुन्द, निम्नलिखित आदेश प्रसारित करता हूं :–

01. आगामी आदेश पर्यन्त निम्नलिखित गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी :–

   i. सभी मैरिज हॉल, स्विमिंग पूल तथा सिनेमा हॉल/थियेटर बंद रहेंगे।

   ii. स्कूल एवं कॉलेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेंगे। छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को आवास की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेस एवं अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेगी।

   iii. सभी प्रकार की सभा, जूलूस, धरना, प्रदर्शन, सामाजिक, राजनैतिक एवं धार्मिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। रिसॉर्ट तथा सभी धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल व अन्य सार्वजनिक स्थल, समूह आयोजन आम जनता हेतु पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।

   iv. वैवाहिक कार्यक्रम निवास–गृह एवं होटल में कोविड–19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन की शर्त पर आयोजित करने की अनुमति होगी। भारत सरकार, गृह मंत्रालय के आदेश क्रमांक 40–3/2020–डी.एम./1(ए) दिनांक 29.04.2021 अनुसार आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 50 रहेगी। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 20 रहेगी।

कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला-महासमुन्द (छ.ग.)

25/5/2021

02. सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सभी ठेला–गुमटी, सुपर मार्केट/सुपर बाजार, फल एवं सब्जी मंडी/बाजार, अनाज मंडी, शो–रूम, क्लब, मदिरा दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पॉ, पार्क व जिम संध्या 06:00 बजे तक **(रविवार को छोड़कर)** खुले रहेंगे।

03. **क्लब–रेस्टोरेंट्स, होटलों एवं रेस्टोरेंट्स से ऑनलाईन/टेलीफोनिक ऑडर पर होम डिलीवरी तथा टेक–अवे की अनुमति होगी, किन्तु इन–हाऊस डायनिंग पूर्ववत प्रतिबंधित रहेगा।** क्लब–रेस्टोरेंट्स, होटलों एवं रेस्टोरेंट्स से डिलीवरी का समय पूर्ववत रात्रि 09:00 बजे तक तथा आम जनता/ग्राहक के निवास तक होम डिलीवरी का अधिकतम समय रात्रि 10:00 बजे तक ही रहेगा। किसी होटल में इन–हाऊस अतिथियों के लिए होटल किचन/स्वयं के रेस्टोरेंट्स के उपयोग की अनुमति रहेगी।

04. महासमुन्द जिला अंतर्गत सभी कार्यालय आगामी आदेश पर्यन्त सामान्यतः आम जनता हेतु बंद रहेंगे। किन्तु अधिकारियों की उपस्थिति शत्–प्रतिशत् सुनिश्चित करते हुये, कर्मचारियों के 50 प्रतिशत रोटेशन के साथ कार्यालयीन एवं आम जनता विषयक अति–आवश्यक प्रयोजन हेतु सभी कार्यालय खोले जायेंगे। उप पंजीयक कार्यालय आवश्यक स्टॉफ सहित पूर्ववत् टोकन/ऑनलाईन सिस्टम के साथ संचालित होंगे। टेलीकॉम, रेलवे एवं एयरपोर्ट संचालन व रख–रखाव से जुड़े कार्यालय/वर्कशॉप, रेक प्वाइंट पर लोडिंग–अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन की अनुमति पूर्ववत रहेगी। सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक एवं पशु–चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में संचालन की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे।

05. पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी एवं मेडिकल दुकानें पूर्ण समयावधि हेतु खुल सकेंगे, किन्तु गैस एजेंसियां टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर के माध्यम से ग्राहकों को सिलेण्डरों की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगी।

06. शासकीय उचित मूल्य दुकानों को प्रातः 10:30 बजे से सायं 05:00 बजे तक खुलने की अनुमति होगी। मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, नियमित सेनिटाईजेशन एवं भीड़–भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ खुलने की अनुमति होगी।

07. **सभी संचालित दुकानों में निःशुल्क वितरण/विक्रय हेतु मास्क रखना तथा दुकान में कार्यरत कर्मचारियों एवं ग्राहकों के उपयोग हेतु सेनिटाईजर रखना अनिवार्य होगा।** होम डिलीवरी व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड–19 जॉच कराना आवश्यक होगा, साथ ही होम डिलीवरी के दौरान मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।

08. मास्क तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा। किसी दुकान को फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए भीड़–भाड एकत्रित कर या राज्य शासन/इस कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने एवं 30 दिवस हेतु दुकान सील करने की कार्यवाही की जावेगी।

09. प्रतिदिन संध्या 06:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन लागू रहेगा, जिसके दौरान होटल/रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी तथा थोक माल/वेयरहाउस/कार्गो/फल/सब्जी की लोडिंग/अन–लोडिंग की अनुमति निर्धारित समयावधि में रहेगी। आपातकालीन आवागमन को छोड़कर अन्य समस्त गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।

कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला–महासमुन्द (छ.ग.)

23/5/2021

10. **प्रत्येक रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रखा जावेगा, जिसके दौरान केवल अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल दुकान, पेट्रोल पंप तथा इस आदेश द्वारा निर्धारित समयावधि में शासकीय उचित मूल्य दुकानें, एल.पी.जी., पैट शॉप, न्यूजपेपर, दुग्ध/फल/सब्जी तथा अनुमति प्राप्त अन्य वस्तुओं/सेवाओं की होम डिलीवरी के संचालन की ही अनुमति होगी।**

11. आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्रायवर सहित अधिकतम 03, ऑटो में ड्रायवर सहित अधिकतम 03 एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी।

12. आम जनता से यह अपेक्षा की जाती है कि अति आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकले एवं निकलते समय अनिवार्य रूप से मास्क धारण करते हुये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। भीड़–भाड़ वाले क्षेत्र में दोहरे मास्क का उपयोग करना अपेक्षित है।

13. होम आईसोलेशन में रह रहे कोविड पॉजिटीव मरीजों को स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न होने पर कोविड केयर सेंटर आवश्यकतानुसार भेजा जावेगा। आपात स्थिति में होम आईसोलेशन कंट्रोल रूम में निम्न नंबरों पर आवश्यकतानुसार संपर्क किया जा सकता है :– 07723–222100, 07723–222101, 82693–79405

14. यह आदेश कार्यालय कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, अस्पताल, थाना एवं पुलिस चौंकी पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवाएं जिसमें सफाई, सिरवेज एवं कचरे का डिस्पोजल, इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी, किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में अतिआवश्यक कार्यों को छोड़कर उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

15. राज्य शासन या इस कार्यालय के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी।

16. अपरिहार्य स्थिति में जिला दण्डाधिकारी/अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी/अनुविभागीय दण्डाधिकारी उपरोक्त प्रतिबंध से छूट देने हेतु सक्षम होंगे।

इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51–60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार, कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामिली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है। आदेश का व्यापक प्रचार–प्रसार तथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा एवं आगामी आदेश पर्यन्त लागू रहेगा।

कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला-महासमुन्द (छ.ग.)

कलेक्टर
जिला दण्डाधिकारी
एवं जिला दण्डाधिकारी
महासमुन्द (छ.ग.)
महासमुन्द (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / 570 / क / एस.डब्ल्यू. / 2021 महासमुंद, दिनांक 25 / 05 / 2021

प्रतिलिपि :-

01. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, गृह विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।

02. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।

03. आयुक्त रायपुर संभाग रायपुर को सूचनार्थ।

04. पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर रेंज रायपुर को सूचनार्थ।

05. पुलिस अधीक्षक, महासमुन्द को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

06. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत महासमुन्द को सूचनार्थ।

07. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं इन्सीडेंट कमान्डर, जिला महासमुन्द को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

08. सर्व तहसीलदार / कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला महासमुन्द को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

09. जिला परिवहन अधिकारी, महासमुन्द को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। महासमुन्द जिला अंतर्गत आवागमन के दौरान वाहनों के संबंध में इस आदेश का कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित करें।

10. जिला खाद्य अधिकारी, महासमुन्द को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

11. सहायक संचालक, जनसम्पर्क महासमुन्द को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

12. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत जिला महासमुन्द को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

13. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत जिला महासमुन्द को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

14. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, महासमुन्द को आदेश की एक प्रति जिले की वेबसाईट में अपलोड किये जाने बाबत्।

15. उप पंजीयक, समस्त जिला महासमुन्द को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

16. समस्त कार्यालय प्रमुख, ... जिला महासमुन्द को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

17. .... समस्त आम जनता, जिला महासमुन्द द्वारा सहायक संचालक, जनसम्पर्क महासमुन्द को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

25/5/2021

कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला-महासमुन्द (छ.ग.)

जिला दण्डाधिकारी महासमुन्द (छ.ग.)

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
महासमुन्द (छ.ग.)